ग्राम पंचायत, शकराह विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016

1 प्रस्तावना

(क) ग्याहरवें वित आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD / 2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत शकराह विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

क्र0सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्रीमति कविता कंवर	प्रधान	1.4.13 से 22.1.16
2	श्रीमति सुमन गर्ग	प्रधान	23.1.16 से लगातार
3	श्री दया नन्द	सचिव	1.4.13 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत शकराह के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {लाखों में}
1	**5 (ख)**	रोकड़ वही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	**1.09**
2	**9**	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.21**
3	**10**	13वें व 14वें वितायोग से प्राप्त अनुदान का उपयोग न करना	**3.66**
4	**11**	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टाक स्टोर का क्रय करना	**5.91**
5	**14.3**	मस्ट्रौल पर रखे गये मजदूरों को उनके द्वारा किये गये कार्य (कार्य प्रगती) से अधिक भुगतान करना	**0.50**
6	**14.4**	ठेकेदार के बिलों से संवैधानिक कटौतियॉ न करना	**0.14**

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत शकराह विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, श्री राम सिहं चौहान, अनुभाग अधिकारी और मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 17.6.2016, 18.6.16 व 27.6.2016 को ग्राम पंचायत, शकराह के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह

4/13, 9/14, 3/16 तथा माह 7/13, 1/15, 10/15 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नही होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत शकराह विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹6000 को रेखांकित बैंक ड्राफट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 1 दिनांक 27.6.16 द्वारा सचिव, पंचायत शकराह से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत शकराह द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट–1** पर भी संलग्न हैः–

(क) स्व स्त्रोत :– ग्राम पंचायत शकराह की अवधि 4/2013 से 3/2016 की स्व स्त्रोतों **(खाता "क")** की वित्तीय स्थिति का विवरण

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	———	97008	**97008**	31228	**65780**
2014–15	65780	132777	**198557**	19248	**179309**
2015–16	179309	211851	**391160**	48832	**342328**

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत शकराह के अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति **(खाता "ख")** का संकलित विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	1842122.91	2246724	**4088846.91**	2571652	**1517194.91**
2014–15	1517194.91	1800499	**3317693.91**	1376662	**1941031.91**
2015–16	1941031.91	2118941	**4059972.91**	1261641	**2798331.91**

नोट :– उक्त अथशेष की राशि में स्व स्त्रोत की अथशेष की राशि भी शामिल है।

अनुदानों का विस्तृत विवरणः–

विविध	वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
अनुदान	2013–14	1604635.91	1392606	2997241.91	1710199	**1287042.91**
	2014–15	1287042.91	1630593	**2917635.91**	1088251	**1829384.91**
	2015–16	1829384.91	2000358	**3829742.91**	1097515	**2732227.91**

मनरेगा	वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
	2013—14	14182	854118	**868300**	861453	**6847**
	2014—15	6847	107877	**114724**	114625	**99**
	2015—16	99	14	**113**	99	**14**

वाटर शैड	वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
	2013—14	223305	—	**223305**	——	**223305**
	2014—15	223305	62029	**285334**	173786	**111548**
	2015—16	111548	118569	**230117**	164027	**66090**

5 रोकड वही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणिका तैयार न करना

(क) ग्राम पंचायत शकराह की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड वही व बैंक खातों का मिलान नही किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) बैंक समाधान विवरणी

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत, शकराह द्वारा हि0 प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है, जिसके कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹72823 का अन्तर था।

क्रम सं0	खाता	अन्तशेष
	रोकड वही की वित्तीय स्थिति के अनुसार	
1	रोकड वही के अनुसार खाता ''क''—पैरा 4(1)	**342328.00**
2	रोकड वही के अनुसार खाता ''ख''—पैरा 4(2)	**2798331.91**
	कुल योग	**3140659.91**
बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेष (परिशिष्ट–2)		**3030791.91**
रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क–ख)		**109868.00**

अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(ग) मनरेगा की रोकड वही का न लिखा जाना

ग्राम पंचायत शकराह की मनरेगा की रोकड वही के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 16.4.15 से इसे लिखा नहीं जा रहा है, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार रोकड वही को तैयार किया जाना अनिवार्य था। इस समबन्ध में अंकेक्षण अधियाचना सं0 3 दिनांक 27.6.16 द्वारा इस सम्बन्ध में कारणों को स्पष्ट करने को कहा गया तथा सचिव ग्राम पंचायत ने मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि मनरेगा से सम्बन्धित भुगतान ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसके कारण रोकड वही को नहीं लिखा गया। ग्राम पंचायत का मौखिक उत्तर उक्त नियम के अनुसार उचित नहीं है। अतः उक्त रोकड वही को दिनांक 16.4.2015 के उपरान्त लिखा जानी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना

(क) रोकड वही का निर्माण नियमानुसार न करना :– ग्राम पंचायत शकराह की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा स्व स्त्रोत और समस्त प्रकार के अनुदानों हेतु तीन रोकड़ बहियों का निमार्ण किया गया है, जो कि नियम के विरूद्व है। अतः नियमों के विरूद्व तीन रोकड बहियों का निर्माण करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) लैजर खातों का निर्माण न करनाः– हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फार्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था, परन्तु ग्राम पंचायत शकराह में इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। प्रत्येक योजना के लिए अलग लैजर बनाए जाने से किसी भी समय योजना विशेष की वित्तीय स्थिति तथा उस योजना में अन्तशेष की जानकारी उपलब्ध हो सकती है, परन्तु लैजरों का निर्माण न करने से इस नियम की अवहेलना है। अतः नियमों के विरूद्व अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) नियमों के विरूद्व पन्द्रह बैंक बचत खातों का खोला जानाः– हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से **खाता ''क''** में पंचायत के स्वयं संसाघनों से प्राप्त आय तथा खाता ''ख'' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है, परन्तु ग्राम

पंचायत शकराह में दो के स्थान पर **परिशिष्ट–2** में वर्णित पन्द्रह बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्व खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए।

7 निवेश

सचिव ग्राम पंचायत, शकराह द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत निधि में से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं थी।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत की आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित निमय के अनुसार तैयार न करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर इसे पारित करवाया जा रहा है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व की ₹0.21 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

सचिव, ग्राम पंचायत शकराह द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना**(परिशिष्ट–3.1 व परिशिष्ट–3.2)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व में **₹21800** की वसूली शेष थी।

मोबाईल टावर

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	––	8000	8000	2000	6000
2014–15	6000	8000	14000	7400	6600
2015–16	6600	8000	14600	––	**14600**

किराया स्टाल 16 मील

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	5600	7200	12800	5000	7800
2014–15	7800	7200	15000	15000	––
2015–16	––	7200	7200	––	**7200**
			कुल योग (1+2)		**21800**

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

10 13वें व 14वें वितायोग से प्राप्त अनुदान की ₹3.66 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा 13वें व 14वें वितयोग से प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना {**परिशिष्ट–4**} के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान की **₹**366465 उपयोग हेतु शेष थी।

ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पडा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि की बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹5.91 लाख के स्टाक स्टोर का क्रय करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–5** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹591641 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टाक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम सं0	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	––	103
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
3	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
4	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(1)
5	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)(ए व बी)
9	स्टेश्नरी रजिस्टर	28	72(1)(डी)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 विविध अनियमितताए

14.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पदान करने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है ।

14.2 वांछित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

चयनित माह में निम्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे अनुमान, प्रशासनिक अनुमोदन, तकनीकि स्वीकृति, व्यय स्वीकृति और कार्य की समाप्ति से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः सम्बन्धित अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में दिखाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम0 सं0	कार्य का नाम	चयनित माह में व्यय की गई राशि
1	पंचायत घर शकराह का निर्माण	215412
2	सामुदायिक भवन, बडवां	190408
3	समुदायिक भवन, भुटुवावीर	37420
4	अनुसूचित जाति भवन, शकराह	89786

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाऐं लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई, जिसे आगामी अंकेक्षण में दिखाना सुनिश्चित किया जाए :–

विवरण	माह	वाउचार सं0	राशि
मस्ट्रौल सं0 432 अवधि 1.5.13 से 14.5.13	7/13	22	11868
मस्ट्रौल सं0 67 अवधि 9.4.13 से 22.4.13	6/14	34 व 35	16098

14.3 मस्ट्रौल पर रखे गये मजदूरों को उनके द्वारा किये गये कार्य (कार्य प्रगति) से ₹0.50 लाख का अधिक भुगतान करना

नियमानुसार मस्ट्रौल पर रखे गये मजदूरों को जो भुगतान किया जाता है उसके मूल्य के बराबर उनके द्वारा कार्य किया जाना अपेक्षित है, अन्यथा किये गये कार्य मूल्य बराबर ही भुगतान किया जा सकता है। अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में विभिन्न मस्ट्रौलों पर रखे गये मजदूरों को किये गये भुगतान तथा भुगतान की एवज में उनके द्वारा किये गये कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की

जांच में पाया गया कि मजदूरों को किये गये भुगतान को उचित ठहराने हेतु उनके द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन हि0प्र0 वर्ष 1999 की मानक दरों पर लेबर प्रीमियम अनुसार बढ़ौतरी करके आंका गया व भुगतान को उचित ठहराया गया है, परन्तु इस कार्य मूल्यांकन से नियमानुसार वांछित 10 प्रतिशत लाभ तथा 5 प्रतिशत ओबरहैड चार्जिज की कटौती नहीं की गई है, परिणाम स्वरूप अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में मस्ट्रौल पर नियुक्त मजदूरों द्वारा किया गया कार्य उनको किये गये भुगतान से ₹50241 का कम हो गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट–6** पर दिया गया है। अतः नियमानुसार कटौती न करके कार्यप्रगति के साथ भुगतान को उचित न ठहराने का कारण स्पष्ट किया जाये तथा किये गये भुगतानों को उचित ठहराया जाये, अन्यथा अधिक किये गये भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये व भविष्य में नियमों की अनुपालना कर भुगतान का किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

14.4 ठेकेदार के बिलों से ₹ 0.14 लाख की संवैधानिक कटौतियॉ न करना

निर्माण कार्य के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रतिभूति राशि, आयकर, बिक्री कर तथा लेबर सैस की अपेक्षित संवैधानिक कटौती, जोकि निम्न विवरणानुसार **₹14850** बनती है, ठेकेदार से नहीं की थी :–

Sr. No	Bill /Vr. No	month	Name of Item	Name of firm	Amount
1	21	1/15	C/O Road Main Chowk Power circle	Bhardwaj Earth works Shakrah.	99000
				प्रतिभूति राशि 10 %	9900
				विक्री कर 2 %	1980
				आयकर 2 %	1980
				लेबर सैस 1 %	990
				कटौतियों की कुल राशि	**14850**

अतः ठेकेदार के भुगतान बिल से संवैधानिक कटौतियौं न करने के कारण सरकारी राजस्व को हानि हुई जिसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य में निर्माण कार्यों के भुगतान के समय सभी संवैधानिक कटौतियां करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

14.5 क्रय की गयी निर्माण सामग्री से नियमानुसार (voids) की कटौती न करने के कारण ₹2704 का अधिक भुगतान करना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री क्रय की गयी, उस पर 10एम0एम0 से लेकर 40 एम0एम0 की बजरी पर 3 प्रतिशत की दर पर voids की कटौती के उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित था, परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना जोकि **परिशिष्ट–7** पर संलग्न है, के अनुसार बजरी पर 3 प्रतिशत की दर पर voids की

कटौती नहीं की गई थी, जिसके कारण आपूर्तिकर्ता को ₹2704 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः किये गये अधिक भुगतान को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना

14.6 निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री की खपत का अभिलेख न रखना

पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे सीमेंट, सरिया, रेत बजरी इत्यादि की आपूर्ति हेतु लाखों रूपये की राशि व्यय की जा रही है। क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की जा रही है तथा सामग्री की वास्तविक खपत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया जा रहा है, जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सका की किस कार्य हेतु कितनी सामग्री की खपत हुई है तथा किसी तिथी विशेष को कितनी मात्रा शेष थी। अभिलेख को उचित प्रकार से तैयार न करने के कारण स्टॉक में दुःर्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः क्रय की जा रही सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए तथा उसकी वास्तविक खपत तथा अन्त शेष का भी अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

15 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्ष :–** लेखों के रख रखाव में नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा इसमें अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 8/2016–खण्ड–1–4506–4509 दिनाँकः23.08.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत शकराह, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट–5

1. स्व–स्त्रोत व विविध अनुदान

Sr. No	Bill /Vr. No	month	Name of Item	Name of firm	Amount
1	1	7/13	HDPE Pipes 2000Mtrs.	Kulja Industgries Ltd. Chambaghat Solan	99700
2	135	7/13	1209 Kg Steel	Khera Hardware Store, New Bus Stand Rajgarh Distt. Sirmour(H.P.)	57698
3	21	1/15	C/O Road Main Chowk Power circle	Bhardwaj Earth works Shakrah.	99000
4	6916	1/15	2300 Kg Steel	Sanjay Traders Dhami	90000
5	391	1/15	170 cft grit	Thakur Goods Carrier Majhot P.O. KaliHatti	8000
6	394	1/15	170 cft grit	Thakur Goods Carrier Majhot P.O. KaliHatti	8000
7	2751	10/15	Paints etc.	Nikhil Hardware Ghanhatti	15340
8	225	10/15	Glazed Tiles	Kumar Hardware cart road Shimla	50764
9	598	10/15	Sand 300cft	Thakur Goods Carrier Majhot P.O. KaliHatti	18000
10	596	10/15	300cft grit	Thakur Goods Carrier Majhot P.O. KaliHatti	16000
11	2715 to 2718	10/15	Steel, paints etc.	Sanjay Traders Dhami	89786
2.	**मनरेगाः**				
12	--	7/13	100 Bags cement carrige	M/S Kanwar Goods carrier, Ghanahatti	4000
13	27	7/13	Sand & Agg, carriage	Ishwer Dass S/O Sh. Bagat Ram,Shakrah	8000
14	47	7/13	Sand 320 cft.	Ishwer Dass Govt. Contractor & General order Suppliers,Shakrah	6200
15	--	7/13	RCC pipe & collar	m/S HIM UDYOG saproon Solan	11353
16	--	7/13	Sand 300cft	M/S Kanwar Goods carrier, Ghanahatti	9800
				Total	**591641**

...